इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 जनवरी 2023—पौष 20, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2023

क्रमांक एफ ए 3-33/2017/1/पॉच (74) : मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3/33/2017/1/पॉच (42) दिनांक 05 अगस्त 2017, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I में – 2.5%, -

(i) क्रमांक 102क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"एथाइल अल्कोहल, जो की मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाइनरियों को आपूर्ति किया गया हो";

(ii) क्रमांक 103 (अ) के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"चोकर, तीक्ष्ण और अन्य अपशशष्ट चाहे वह गुटिका के रूप में हों या नहीं धान्य के या फलीदार पौधों के, पेषण या अन्य कार्य से व्युत्पन्न हो [जलीय

फ़ीड समेत झींगा फ़ीड और झींगा फ़ीड, पोल्ट्री फ़ीड और पशु फ़ीड सहित घास, घास और पुआल, पूरक और योजक, चिल्का सहित दालों की भूसी, चुन्नी या चूरी, खंडा सहित सांद्र, गेहूं की भूसी, डी-ऑइल केक से भिन्न]";

ख. अनुसूची II में – 6%, -

i. क्रमांक 48 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"फलों के पल्प या फलों के रस आधारित पेय [फल रस का कार्बोनेटेड बिवरेज या फल रस युक्त कार्बोनेटेड बिवरेज के अलावा]";

ii. क्रमांक 180 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"मैथमेटिकल बॉक्सेस, ज्योमेट्री बॉक्सेस और कलर बॉक्सेस";

ग. अनुसूची III में - 9%, क्रमांक 25 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"किसी भी सांद्रता के एथाइल अल्कोहल और अन्य स्पिरिट्स, डिनेचर्ड, [एथाइल अल्कोहल, जो की मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाइनरियों को आपूर्ति किया गया हो से भिन्न]";

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2023 को प्रवृत्त हुई मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. पी. श्रीवास्तव,** उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2023

क्र. एफ ए-3-33-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-33-2017-1-पांच (74), दिनांक 10 जनवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. पी. श्रीवास्तव,** उपसचिव.

Bhopal, the 10th January 2023

No. F A 3-33/2017/1/V (74) : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F-A3-33-2017-1-V (42) Dated 29th June 2017, namely:-

In the said notification, -

A. in Schedule I – 2.5%, -

i. against serial number 102A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Ethyl alcohol supplied to Oil Marketing Companies or Petroleum refineries for blending with motor spirit (petrol)";

ii. against serial number 103A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants [other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & additives, husk of pulses including chilka, concentrates including chuni or churi, khanda, wheat bran, de-oiled cake]";

B. in Schedule II – 6%,

i. against serial number 48, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Fruit pulp or fruit juice based drinks [other than Carbonated Beverages of Fruit Drink or Carbonated Beverages with Fruit Juice]";

ii. against serial number 180, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Mathematical boxes, geometry boxes and colour boxes";

C. in Schedule III – 9%, against serial number 25, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength [other than ethyl alcohol supplied to Oil Marketing Companies or Petroleum refineries for blending with motor spirit (petrol)]";

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the date 1st day of January, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.